भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2484

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

नई श्रम संहिताओं की विशेषताएं

†2484. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संहिताओं से देश में व्यापार करने की सुगमता बढ़ेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये संहिताएं एक ही साथ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करके श्रमिकों के अधिकारों को बनाए रखेगीं; और

(घ) नई संहिताओं के तहत काम के घंटे, ओवरटाइम भुगतान और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के बारे में क्या नियम हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): चारों श्रम संहिताएं परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुगम बनाती हैं, प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं। साथ ही, यह सभी श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती है जिनमें असंगठित श्रमिक भी शामिल हैं। श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) एकसमान परिभाषाएँ: मजदूरी, कर्मचारी, श्रमिक आदि।
(ii) प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: इलेक्ट्रॉनिक रूप, रजिस्टर और रिटर्न
(iii) प्रवर्तन में पारदर्शिता
(iv) निरीक्षक के स्थान पर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता
(v) यादृच्छिक वेब-आधारित निरीक्षण प्रणाली
(vi) महिला श्रम बल की उच्च भागीदारी
(vii) सभी भूमिकाओं में काम करने का अधिकार; रात्रि में सहमति से काम करना
(viii) 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच की सुविधा
(ix) समुचित सरकार को काम और ओवरटाइम के घंटे तय करने में लचीलापन

जारी/-2

संहिता-वार मुख्य विशेषताएं संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

<u>वेतन संहिता 2019</u>

- पिछले अधिनियम में अनुसूचित रोजगार की तुलना में सभी नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमीकरण किया गया है।
- 'फ्लोर वेज' को सांविधिक बना दिया गया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें फ्लोर वेज से कम नहीं होंगी।
- लैंगिक निरपेक्षता (जेंडर न्यूट्रेलिटी) को बढ़ावा देना और ट्रांसजेंडर सहित भर्ती और मजदूरी भुगतान में भेदभाव को प्रतिबंधित करना।
- सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान।
- 50% से अधिक भत्तों को वेतन का हिस्सा बनाया गया है जिससे प्रसूति प्रसुविधा, उपदान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदान आदि में वृद्धि होगी।

<u>औद्योगिक संबंध संहिता 2020</u>

- नियत अवधि का रोजगार (एफटीई) शुरू किया गया है जहां एक कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के बराबर सभी लाभ मिलते हैं। 1 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आनुपातिक ग्रेच्युटी।
- सामूहिक सौदेबाजी को सुविधाजनक बनाने के लिए सांविधिक 'वार्ता संघ' और 'वार्ता परिषद'।
- औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए एक सदस्य के बजाए दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण। शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कर्मचारी का समान प्रतिनिधित्व।
- उल्लंघनों के लिए दंड को युक्तिसंगत बनाया गया है और अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाया गया है।

<u>सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020</u>

- असंगठित कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर।
- रोजगार के नए रूपों को पूरा करने के लिए, एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की परिभाषाएं निर्धारित की गईं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का सार्वभौमिक कवरेज वर्तमान में अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ा दिया गया है।
- ईएसआईसी का लाभ स्वैच्छिक आधार पर 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थापनों को दिया गया।
- जोखिमपूर्ण प्रक्रिया से जुड़े एकल कर्मचारी को भी नियोजित करने वाले संस्थापनों के लिए अनिवार्य ईएसआईसी कवरेज।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का सार्वभौमिक कवरेज, अब 20 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सभी संस्थापनों पर लागू होता है। अनुसूची के मौजूदा प्रावधान को हटा दिया गया है।

जारी/-3

<u>ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड, 2020</u>

- संहिता 10 या अधिक कामगारों वाले सभी संस्थापनों में, और यहां तक कि खतरनाक या जीवन के लिए जोखिम वाले व्यवसाय करने वाले संस्थापनों के एक कर्मचारी के लिए भी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों को सार्वभौमिक रूप से लागू करने का प्रावधान करती है।
- नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से जारी करने के माध्यम से रोजगार को औपचारिक रूप प्रदान करना।
- नियोक्ता, निर्दिष्ट आयु से ऊपर के कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करेगा।
- अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार की परिभाषा का विस्तार किया गया है जिसमें ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रवासी कामगार और स्व-प्रवासी कामगार भी शामिल हैं। वे (क) वार्षिक एकमुश्त यात्रा भत्ता, (ख) लाभों की पोर्टेबिलिटी के लिए पात्र हैं।
- महिला कामगारों को उनकी सहमति और सुरक्षा के अध्यधीन रात्रि कार्य सहित सभी प्रकार के कार्य हेतु सभी संस्थापनों में काम करने की अनुमति है।

*****